

भारतीय और अमेरिकी राष्ट्रपतियों का तुलनात्मक विश्लेषण

प्रारंभिक परीक्षा के लिये:

आम चुनाव, नरिवाचन आयोग, राजनीतिक दल, गुप्त मतदान, नरिवाचक मंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाएँ, प्रस्तावक, समर्थक, वीटो, आपातकाल, मंत्रपरिषद, महाभियोग

मुख्य परीक्षा के लिये:

भारतीय और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में समानताएँ और अंतर।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका वर्ष 2024 के आम चुनाव में देश के राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिये पूरी तरह तैयार है, जिसके लिये 5 नवंबर, 2024 को नरिवाचक मंडल के माध्यम से मतदान होना है।

- इस चुनाव ने अमेरिका और भारत के राष्ट्रपतियों की शक्तियों तथा भूमिकाओं में समानताओं एवं भिन्नताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया।

अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज प्रणाली क्या है?

- **परिचय:** यह अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को औपचारिक रूप से चुनने के लिये प्रयोग की जाने वाली प्रणाली है।
 - नागरिक अपना मत सीधे राष्ट्रपति के लिये नहीं, बल्कि प्रत्येक राज्य में प्रत्येक उम्मीदवार के राजनीतिक दल द्वारा चुने गए नरिवाचकों के एक समूह को देते हैं।
 - इसके बाद ये नरिवाचकगण राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिये औपचारिक रूप से मत देने हेतु एकत्रित होते हैं, जसिं नरिवाचक मंडल के नाम से जाना जाता है।
- **उद्भव:** यह अमेरिकी संविधान में एक समझौता था, जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिये प्रत्येक लोकप्रिय मत और कॉंग्रेस द्वारा चयन के बीच संतुलन स्थापित करता था।
 - यह राष्ट्रपति को जनता से सीधे अपील करने से रोकने तथा मध्यस्थ निकाय के माध्यम से कार्यकारी शक्ति पर अंकुश लगाने के लिये एक सुरक्षा उपाय के रूप में कार्य करता था।
- **संरचना:** इसमें कुल 538 नरिवाचक हैं। राष्ट्रपति पद जीतने के लिये किसी उम्मीदवार को 270 नरिवाचक मतों के बहुमत की आवश्यकता होती है।
- **नरिवाचन मंडल का प्रभाव:** राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय मत जीतने वाला उम्मीदवार भी राष्ट्रपति के पद से वंचित रह सकता है, यदि नरिवाचक मंडल में नागरिकों की पसंद के विरुद्ध मतदान करते हैं।
 - अमेरिकी इतिहास में ऐसा पाँच बार हुआ है, जसिमें वर्ष 2000 और 2016 के चुनाव भी शामिल हैं, जहाँ लोकप्रिय मत का विजेता इलेक्टोरल कॉलेज हार गया था।

भारतीय राष्ट्रपति चुनाव अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से किस प्रकार भिन्न है?

- **नरिवाचक मंडल संरचना:** राष्ट्रपति का चुनाव एक नरिवाचक मंडल प्रणाली के माध्यम से होता है, जसिमें नमिनलखित शामिल होते हैं:
 - **नरिवाचति संसद सदस्य (MP):** इसमें संसद के दोनों सदनों अर्थात् [लोकसभा](#) (लोकसभा) और [राज्यसभा](#) (राज्य परिषद) के सभी नरिवाचति सदस्य शामिल हैं।
 - **विधानसभाओं के नरिवाचति सदस्य (MLA):** इसमें सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों दिल्ली तथा पुदुचेरी की [विधान सभाओं](#) के नरिवाचति सदस्य शामिल हैं।
- **नामांकन प्रक्रिया:** एक उम्मीदवार को 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की हस्ताक्षरित सूची के साथ नामांकन में दाखल करना होगा।

- इन प्रस्तावकों और समर्थकों को निर्वाचक मंडल के सदस्यों में से चुना जाना चाहिये।
- **मतदान प्रक्रिया:** राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल के मतदाता **किसी पार्टी के उम्मीदवार को मत नहीं देते हैं, बल्कि विरीयता क्रम में उम्मीदवारों के नाम मतपत्र पर लिखते हैं।**
 - यह प्रणाली मतदाताओं को एकल विकल्प के स्थान पर **अपनी प्राथमिकताएँ व्यक्त करने की सुविधा प्रदान करता है।**
- **वोट के मूल्य का परिकलन:** मतदान प्रणाली में सांसदों और विधायकों द्वारा दिये गए वोटों का अलग-अलग मूल्य निर्धारित है:
 - **किसी सांसद के वोट का मूल्य:** प्रत्येक सांसद, चाहे वह लोकसभा से हो या राज्यसभा से, का **वोट मूल्य 700 निर्धारित है।**
 - **किसी विधायक के वोट का मूल्य:** प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य राज्य की जनसंख्या को उसकी विधानसभा में विधायकों की संख्या से भाग देकर निर्धारित किया जाता है और प्राप्त भागफल को **1000 से विभाजित किया जाता है।** उदाहरण के लिये, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक विधायक का वोट मूल्य अधिकतम (208) है जबकि **अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम (8) है।**
- **जीत का कोटा:** उम्मीदवार को जीतने के लिये दिये गए **कुल वोटों का 50% + 1 वोट हासिल करना होता है।** यह आम चुनावों से अलग है जहाँ साधारण बहुमत ही पर्याप्त होता है।

नोट: जम्मू-कश्मीर में विधानसभा की अनुपस्थिति के कारण वोट का मूल्य 708 से घटकर 700 हो गया।

भारत के राष्ट्रपति के लिये संबंधित सांविधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 54:** राष्ट्रपति का निर्वाचन
- **अनुच्छेद 55:** राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति
- **अनुच्छेद 56:** राष्ट्रपति की पदावधि
- **अनुच्छेद 57:** पुनर्निर्वाचन के लिये पात्रता।
- **अनुच्छेद 58:** राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिये अर्हताएँ

भारतीय और अमेरिकी राष्ट्रपतियों की कार्यप्रणाली में क्या समानता है?

- **राज्य (देश) प्रमुख:** दोनों राज्य के औपचारिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, आधिकारिक समारोहों और राजनयिक आयोजनों में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- **निर्वाचन प्रक्रिया:** दोनों को अपनी-अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करने हेतु **निर्वाचित** किया जाता है, हालाँकि निर्वाचन की प्रक्रिया में भिन्नता होती है (भारत में अप्रत्यक्ष, अमेरिका में प्रत्यक्ष)।
- **वीटो शक्ति:** दोनों को अपने-अपने विधायी निकायों द्वारा पारित विधान पर **वीटो** लगाने का प्राधिकार है।
- **आपातकाल शक्तियाँ:** दोनों ही देश **आपातकाल** की उद्घोषणा कर सकते हैं और विशेष शक्तियाँ ग्रहण कर सकते हैं, हालाँकि इन शक्तियों की प्रकृति एवं सीमा में भिन्नता होती है।
- **राजनयिक भूमिका:** दोनों राष्ट्रपतियों के पास **संधियों पर वार्ता** करने और **अंतरराष्ट्रीय संबंधों** में अपने देशों का प्रतिनिधित्व करने की शक्ति है।
- **औपचारिक कर्तव्य:** दोनों विभिन्न औपचारिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, जिनमें नए अधिनियमों की शुरुआत, सम्मान प्रदान करना और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की मेज़बानी शामिल है।

भारतीय और अमेरिकी राष्ट्रपतियों की कार्यप्रणाली में क्या अंतर है?

पहलू	भारतीय राष्ट्रपति	अमेरिकी राष्ट्रपति
शक्तियाँ	सीमित कार्यकारी शक्तियाँ, मुख्य रूप से औपचारिक भूमिका का निर्वहन, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है।	कार्यकारी शाखा का नेतृत्व करने वाले राज्य और सरकार दोनों के प्रमुख के रूप में कार्य करने वाला महत्त्वपूर्ण कार्यकारी प्राधिकारी।
कार्यप्रणाली	मंत्रपरिषद् की सलाह पर कार्य करता है; प्रधानमंत्री के साथ सामूहिक रूप से लिये गए निर्णय।	कार्यकारी निर्णय लेने , अधिकारियों की नियुक्ति करने और स्वतंत्र रूप से कार्यकारी आदेश जारी करने की स्वायत्तता।
निर्वाचन प्रक्रिया	संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित।	प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से निर्वाचित, जहाँ नागरिक निर्वाचकों के लिये मतदान करते हैं , जो फिर राष्ट्रपति के लिये मतदान करते हैं।
पदावधि	पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा करता है, किसी भी संख्या में पुनः निर्वाचित होने के लिये पात्र होता है।	चार वर्ष का कार्यकाल पूरा करता है, एक अतिरिक्त कार्यकाल (कुल आठ वर्ष) के लिये पुनः निर्वाचित हो सकता है।
महाभियोग	संविधान का उल्लंघन करने के लिये महाभियोग लगाया जा सकता है, जिसके लिये संसद के दोनों सदनों में दो-तर्हिई बहुमत की आवश्यकता होती है।	राष्ट्रपति पर राजद्रोह, रश्वतखोरी या अन्य गंभीर अपराध या दुराचार के लिये महाभियोग लगाया जा सकता है।" महाभियोग

		प्रतनिधि सभा द्वारा शुरू किया जाता है, जिसके बाद सीनेट द्वारा मुकदमा चलाया जाता है।
कार्यपालक प्राधिकारी	सीमति स्वतंत्र प्राधिकार के साथ मुख्य रूप से प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर शक्तियों का प्रयोग करता है।	स्वतंत्र रूप से कार्य करने, संघीय अधिकारियों को नियुक्त करने और कॉंग्रेस की स्वीकृति के बिना कार्यकारी शाखा को निर्देशित करने का अधिकार है।
वशिषाधिकार	आधिकारिक कषमता में कार्यों के लिये कानूनी कार्यवाही से प्रतरिक्षा के संबंध में कुछ वशिषाधिकार हैं।	कॉंग्रेस और न्यायालयों से जानकारी गुप्त रखने के लिये कार्यकारी वशिषाधिकार सहित व्यापक वशिषाधिकार प्राप्त हैं।
उन्मुक्ति	आधिकारिक कार्यों के लिये वधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति, लेकिन व्यक्तगत कार्यों के लिये मुकदमा चलाया जा सकता है।	कार्यालय में रहते हुए की गई कार्रवाइयों के लिये सविलि मुकदमों से उन्मुक्ति लेकिन अवैध गतविधियों के लिये आपराधिक आरोपों का सामना कर सकता है।
राजनीतिक संबद्धता	सामान्यतः एक राजनीतिक दल से संबद्ध लेकिन कार्यालय में नषिपक्ष रूप से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।	दल संबद्धता के आधार पर नरिवाचति, एक वशिषिट राजनीतिक दल का प्रतनिधित्व करने वाला तथा पक्षपातपूर्ण राजनीति में संलग्न।

नषिकर्ष

अमेरिका और भारत की नरिवाचन प्रणाली संरचना, नामांकन प्रक्रिया, वोट मूल्य गणना तथा जीतने के मानदंडों में महत्त्वपूर्ण अंतर प्रदर्शति करती है। जबकि अमेरिका नरिवाचक मंडल पर नरिभर करता है, भारत की पद्धति अपने सांसदों और वधियकों के माध्यम से प्रतनिधित्व पर ज़ोर देती है जो देश के नेता को चुनने के लिये अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदर्शति करती है।

//





भारत की 15वीं राष्ट्रपति

द्रौपदी मुर्मू

- ◆ भारत की पहली जनजातीय राष्ट्रपति
- ◆ प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति
- ◆ वह ओडिशा के मयूरभंज जिले से हैं और संथाल जनजाति (गोंड तथा भील के बाद भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति) से संबंधित हैं।

राष्ट्रपति कौन होता है?

- ◆ भारतीय गणराज्य का प्रमुख तथा भारत का प्रथम नागरिक।
- ◆ **निर्वाचन:** संसद के दोनों सदनों के सांसदों और राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा। (लेकिन राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा परिषदों के सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं)
- ◆ **संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 54 - 62

राष्ट्रपति की शक्तियाँ:

- ◆ **विधायी शक्तियाँ:**
 - ◆ लोक सभा को विघटित करने की शक्ति
 - ◆ किसी विधेयक को पारित करने के लिये अंतिम सहमति देता है
 - ◆ जब संसद सत्र में न हो तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति
 - ◆ संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति
- ◆ **नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ:**
 - ◆ प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों, राज्य के राज्यपाल, अन्य देशों के राजदूतों, महान्यायवादी आदि की नियुक्ति करता है।
- ◆ **सैन्य शक्तियाँ:**
 - ◆ सभी भारतीय सेनाओं का प्रमुख होता है।
 - ◆ थल सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है।
 - ◆ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी भी देश के साथ युद्ध की घोषणा करने या शांति स्थापित करने की शक्ति।
 - ◆ अन्य देशों के साथ संधियाँ उसके नाम पर हस्ताक्षरित की जाती हैं।
- ◆ **क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 72):**
 - ◆ उन मामलों में क्षमादान दे सकता है जिनमें सजा-केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध के लिये दी गई हो, सैन्य न्यायालय में दी गई हो या दंड का स्वरूप दंड हो।
- ◆ **आपातकालीन शक्तियाँ:**
 - ◆ अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत तीन प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा कर सकते हैं: राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल के समय अलग-अलग राज्यों या पूरे देश पर शासन कर सकता है।

रोचक तथ्य

- ◆ राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वह लगातार दो कार्यकाल तक सेवा देने वाले एकमात्र राष्ट्रपति भी हैं।
- ◆ जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। वह भारत के सबसे कम समय तक (2 वर्ष से कम) सेवा देने वाले राष्ट्रपति थे।
- ◆ अब तक दो राष्ट्रपति, डॉ. जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद (पाँचवाँ राष्ट्रपति) की अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो चुकी है।
- ◆ जब मई 1969 में राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी.वी. गिरि राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे।
- ◆ इसके तुरंत बाद वी.वी. गिरि ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिये इस्तीफा दे दिया। तब भारत के मुख्य न्यायाधीश, एम. हिदायतुल्ला ने 20 जुलाई, 1969 से 24 अगस्त, 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।



राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद:

- ◆ **अनुच्छेद 52:** भारत के राष्ट्रपति
- ◆ **अनुच्छेद 53:** संघ की कार्यकारी शक्तियाँ
- ◆ **अनुच्छेद 72:** राष्ट्रपति की क्षमादान इत्यादि की शक्ति तथा कतिपय मामलों में दंड का स्थगन, माफी अथवा कम कर देना
- ◆ **अनुच्छेद 74:** मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना
- ◆ **अनुच्छेद 85:** संसद के सत्र, सत्रावसान तथा भंग करना
- ◆ **अनुच्छेद 111:** संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करना
- ◆ **अनुच्छेद 112:** संघीय बजट (वार्षिक वित्तीय वितरण)
- ◆ **अनुच्छेद 123:** राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
- ◆ **अनुच्छेद 143:** राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति

पूर्व राष्ट्रपति



डॉ. राजेंद्र प्रसाद (1950-1962)



डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1962-1967)



डॉ. जाकिर हुसैन (1967-1969)



श्री वराहगिरि वेंकट गिरि (1969-1974)



डॉ. फखरुद्दीन अली अहमद (1974-1977)



श्री नीलम संजीव रेड्डी (1977-1982)



श्री जैल सिंह (1982-1987)



श्री आर. वेंकटरमण (1987-1992)



डॉ. शंकर दयाल शर्मा (1992-1997)



श्री के.आर. नारायणन (1997-2002)



डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (2002-2007)



श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल (2007-2012)



श्री प्रणब मुखर्जी (2012-2017)



श्री रामनाथ कोविंद (2017-2022)



दृष्टि मिनस प्रश्न:

प्रश्न: राष्ट्रपति चुनावों के लिये अमेरिका और भारत की चुनावी प्रणालियों में अंतर पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न: भारत के राष्ट्रपति के नरिवाचन के संदर्भ में नमिनलिखित कथनों पर वचिर कीजिये: (2018)

1. प्रत्येक एम.एल.ए. के वोट का मूल्य अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होता है।
2. लोक सभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्य सभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (a)

प्रश्न: भारतीय राष्ट्रपति के नरिवाचन के बारे में नमिनलिखित कथनों पर वचिर कीजिये: (2023)

1. संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्यों की वधान-सभाओं में नामनरिदषिट किये गए सदस्य नरिवाचक मंडल में शामिल किये जाने के लिये भी अर्ह है।
2. नरिवाच्य वधान-सभा सीटें जतिनी अधिक होती हैं, उस राज्य के प्रत्येक एम.एल.ए. के वोट का मान भी उतना ही अधिक होता है।
3. मध्य प्रदेश के प्रत्येक एम.एल.ए. के वोट का मान, केरल के प्रत्येक एम.एल.ए. के वोट के मान से अधिक है।
4. पुदुचेरी के प्रत्येक एम.एल.ए. के वोट का मान, अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एम.एल.ए. के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुचेरी में कुल जनसंख्या का नरिवाच्य सीटों की कुल संख्या से अनुपात अधिक है।

उपर्युक्त कथनों में से कतिने सही है?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) केवल 3
- (d) सभी 4

उत्तर: (a)

??????:

प्रश्न. भारत एवं यू.एस.ए. दो वशाल लोकतंत्र हैं। उन आधारभूत सदिधांतों का परीक्षण कीजिये जनि पर ये दो राजनीतिक तंत्र आधारति हैं। (2018)